



प्रदेश में सभी प्रकार की गरीबी का अन्त करना।

- 1.1 2022 तक, प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी 8.1 से 2 प्रतिशत तक लाना।
- 1.2 2030 तक, प्रदेश के सभी पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों में व्याप्त गरीबी को पूरी तरह समाप्त करना।
- 1.3 2030 तक, सभी गरीब तथा कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों से जोड़ना।
- 1.4 2030 तक, सभी पुरुषों तथा महिलाओं विशेषकर गरीब एवं कमजोर वर्गों को आधारभूत सेवाएं, आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधनों तथा सभी प्रकार की सम्पत्ति पर नियन्त्रण, एवं माइक्रो फाईनैंस सहित विभिन्न वित्तीय सेवाएँ सुनिश्चित करना।
- 1.5 **2030 तक, गरीबों और कमजोर लोगों को विपरीत परिस्थितियों से जूझने के लिए तैयार करना तथा विभिन्न पर्यावरणीय, आर्थिक एवं सामाजिक आपदाओं को कम करना।**
 - 1.क सहभागीदारी के माध्यम से संसाधनों का सतत् प्रबन्धन सुनिश्चित करना, तथा सभी प्रकार की गरीबी दूर करने के लिए राज्य स्तर पर विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना।
 - 1.ख राज्य एवं क्षेत्रीय स्तर पर जरूरी निवेश द्वारा गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न लैंगिक समानता पर आधारित विकास नीतियां तथा सुदृढ़ नीति फ्रेमवर्क बनाना।





मुखमरी समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत् कृषि को बढ़ावा देना।

- 2.1 2030 तक, नवजात शिशुओं एवं 5 साल से नीचे के बच्चों की मृत्यु-दर को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाना, मुखमरी समाप्त करना तथा वर्ष भर सभी को विशेषकर गरीब एवं बदहाल व्यक्तियों को सुरक्षित, पोषक एवं पर्याप्त भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- 2.2 2030 तक, सभी प्रकार के कुपोषण का अन्त करना, 2025 तक 5 साल से निम्न बच्चों में बौनापन एवं अपक्षय के लिए राज्य स्तर पर तय लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ किशोरियों, गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिलाओं व वृद्ध लोगों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना।
- 2.3 2030 तक, छोटे स्तर के खाद्य उत्पादकों की आय एवं कृषि उत्पादकता को दोगुना करना, विशेषकर महिलाओं, किसानों, चरवाहों एवं मछली पालकों को भूमि का सुरक्षित एवं समान अधिकार, अन्य उत्पादक संसाधनों एवं मूल्यों, ज्ञान वित्तीय संसाधनों, मार्केट एवं मूल्यवृद्धि के अवसर एवं गैर-कृषि रोजगार प्रदान करना।
- 2.4 2030 तक, सतत् खाद्य उत्पादन पद्धतियों एवं लचीले कृषि अभ्यासों को क्रियान्वित करना जिससे उत्पादन एवं उत्पादकता की वृद्धि हो, जो पारिस्थितिकी को बनाए रखने में सहायता करे, जिससे जलवायु परिवर्तन, विषम जलवायु, सूखा, बाढ़ एवं अन्य आपदाओं की अनुकूलता के लिए क्षमतावर्धन हो और भूमि एवं मिट्टी की गुणवत्ता में प्रगतिशील सुधार हो।
- 2.5 2020 तक, बीजों की आनुवांशिक विविधता, संवर्धित पौधों, जोत एवं पालतु पशुओं एवं उनसे संबंधित जंगली प्रजातियों को बचाना। राज्य एवं क्षेत्रीय स्तरों पर विभिन्न प्रकार के बीज एवं पौधा बैंक के सही प्रबन्धन के द्वारा, आनुवांशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से जनित समान एवं सही लाभ की हिस्सेदारी को बढ़ावा देना।
- 2.क बेहतर विकास सहयोग द्वारा निवेश को बढ़ाना, ग्रामीण ढांचों, कृषि शोध एवं प्रसार सेवाओं, पौधों एवं पशुओं के वंशाणु या जीन बैंक जिससे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि उत्पादक क्षमता बढ़ाई जा सके।



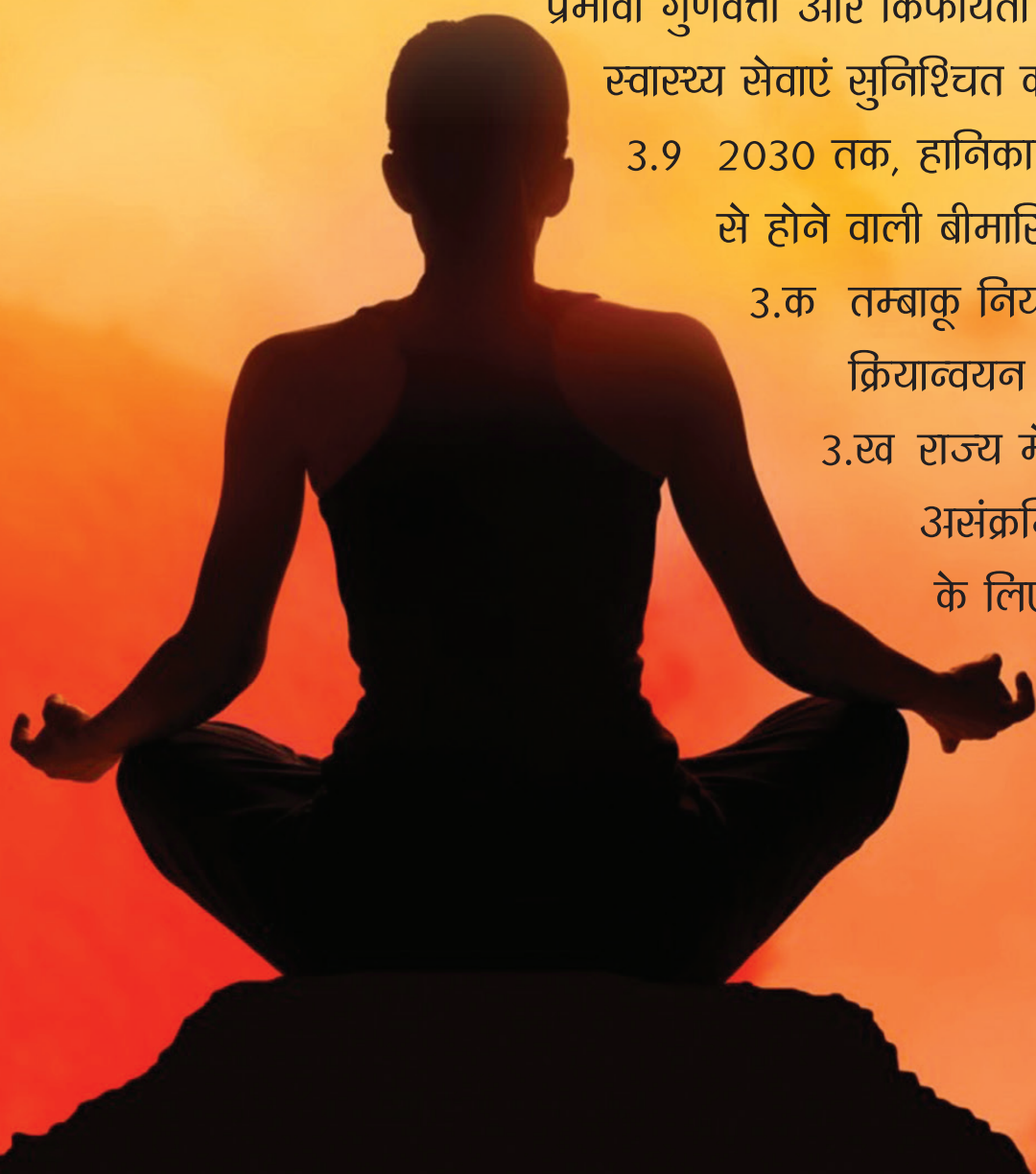
2.ख राज्य स्तरीय कृषि बाजारों में व्यापार प्रतिबंधों एवं बिक्री प्रक्रियाओं को संशोधित करना।

2.ग खाद्य सामग्री बाजारों एवं उनके यौगिकों की उचित कार्यशीलता सुनिश्चित करने सम्बन्धी मानकों को अपनाना एवं समय पर बाजार सम्बन्धित सूचनाओं की उपलब्धता को बनाना, जिससे खाद्य सुरक्षा के साथ, खाद्य मूल्यों में तीव्र परिवर्तन को सीमित करने में सहयोग किया जा सके।



स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी के लिए बेहतर स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना।

- 3.1 2030 तक, प्रति 1,00,000 जीवित प्रसव पर मातृ मृत्यु-दर को कम करना।
- 3.2 2022 तक, शिशु मृत्यु-दर को प्रति हजार 35 से 20 तक कम करना।
- 3.3 2030 तक, एड्स, क्षयरोग, मलेरिया एवं उपेक्षित तीव्र रोगों के संक्रमण को खत्म करना और हैपेटाइटिस, जलजनित एवं अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम करना।
- 3.4 2030 तक, असंक्रामक रोगों से होने वाली असामयिक मृत्यु का उपचार एवं रोकथाम तथा मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देना।
- 3.5 नशीले पदार्थों, दवाओं एवं अल्कोहॉल/शराब के हानिकारक उपयोग की रोकथाम तथा इनसे ग्रसित लोगों का उपचार सुनिश्चित करना।
- 3.6 2020 तक, राज्य में सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली हानि एवं मृत्यु संख्या को आधा करना।
- 3.7 2030 तक, परिवार नियोजन, सूचना एवं संचार एवं राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यक्रमों में प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य को जोड़ कर यौन एवं प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना।
- 3.8 वित्तीय जोखिम संरक्षण, महत्वपूर्ण गुणकारी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और सभी के लिए सुरक्षित, प्रभावी गुणवत्ता और किफायती दवाइयों एवं टीकों की पहुंच के साथ व्यापक एवं सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना।
 - 3.9 2030 तक, हानिकारक रसायनों एवं वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण और गंदगी से होने वाली बीमारियों और मृत्यु संख्या को कम करना।
 - 3.क तम्बाकू नियन्त्रण पर विश्व स्वास्थ्य संगठन फ्रेमवर्क समझौते के क्रियान्वयन को मजबूत बनाना।
 - 3.ख राज्य में मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले संक्रमित एवं असंक्रमित रोगों के लिए दवाइयों एवं टीकों के शोध एवं विकास के लिए सहयोग करना, सस्ती एवं जरूरी दवाइयों एवं टीकों तक पहुंच प्रदान करना।
 - 3.ग राज्य एवं क्षेत्रीय स्तर पर पूर्व संकेतिक जोखिमों में कमी और स्वास्थ्य जोखिमों के प्रबन्धन के लिए राज्य की क्षमता को सुदृढ़ बनाना।





समावेशी, न्यायसंगत एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देना।

- 4.1 2030 तक, उपयुक्त एवं प्रभावी शिक्षा के परिणामों के साथ सभी लड़के तथा लड़कियों को पूर्ण, मुफ्त, समान एवं गुणकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करना।
- 4.2 2030 तक, सभी लड़के तथा लड़कियों को गुणात्मक नर्सरी शिक्षा एवं देखभाल यानि प्री-प्राइमरी शिक्षा सुनिश्चित करना ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें।
- 4.3 2030 तक, सभी महिलाओं तथा पुरुषों को सस्ती, गुणकारी वोकेशनल एवं विश्वविद्यालय शिक्षा सुनिश्चित करना।

4.4 2030 तक, उचित रोजगार तथा उद्यमिता के लिए तकनीकी एवं वोकेशनल योग्यताओं के साथ, उचित क्षमताओं वाले युवकों एवं वयस्कों की संख्या बढ़ाना।

- 4.5 2030 तक, शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को दूर करना तथा कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों, मारमिक स्थिति में रहने वाले लोगों एवं बच्चों को शिक्षा के सभी स्तरों एवं वोकेशनल प्रशिक्षण की पहुंच सुनिश्चित करना।
- 4.6 2030 तक, सभी युवाओं और वयस्कों, पुरुषों एवं महिलाओं को साक्षरता एवं अंक ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करना।
- 4.7 2030 तक, सभी को सतत् विकास को प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी ज्ञान एवं दक्षता सुनिश्चित करना, जिसमें सतत् विकास के लिए सतत् जीवन शैलियों, मानव अधिकार, लैंगिक समानता, अहिंसा एवं शांति के

माहौल को प्रोत्साहित कर वैश्विक नागरिकता एवं सतत् विकास के लिए सांस्कृतिक विभिन्नता एवं सांस्कृतिक योगदान हो।

4.क ऐसी शैक्षिक सुविधाओं का निर्माण और स्तरोन्नयन करना, जो बच्चों, दिव्यांगों और स्त्री पुरुषों की समानता के प्रति संवेदनशील हो और सभी के लिए शिक्षा-प्राप्ति के सुरक्षित, समावेशी और कारगर परिवेश उपलब्ध कराती हो।

4.ख 2020 तक, राज्य स्तर पर मौजूद छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ाना, जिससे क्षेत्रीय स्तर में व्यवसायिक प्रशिक्षण और सूचना एवं तकनीकी संचार, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक कार्यक्रमों के साथ उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बढ़े।

4.ग 2030 तक, राष्ट्रीय सहयोग द्वारा राज्य में अध्यापकों के प्रशिक्षण के साथ मूल रूप से योग्य अध्यापकों की आपूर्ति बढ़ाना।





लैंगिक समानता प्राप्त करना तथा लड़कियों एवं महिलाओं का सशक्तीकरण करना।

- 5.1 लड़कियों एवं महिलाओं के साथ होने वाले सभी प्रकार के भेदभावों का अन्त करना।
- 5.2 सार्वजनिक जगहों में लड़कियों एवं महिलाओं की खरीद-फरोख्त, लैंगिक तथा अन्य सभी प्रकार की प्रताड़नाओं तथा हिंसा को खत्म करना।
- 5.3 सभी हानिकारक प्रथाओं जैसे कि बाल, समय पूर्व, जबरदस्ती विवाह और महिला जननांग विकृति का अंत करना।
- 5.4 राज्य में महिलाओं द्वारा उनके घर एवं परिवार में किए गए कार्य, देखभाल एवं घरेलु कार्य के लिए राष्ट्रीय प्रावधानों के अनुसार मूल्यांकन।
- 5.5 महिलाओं को राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में सभी स्तरों पर सम्पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी और नेतृत्व के समान अवसर सुनिश्चित करना।
- 5.6 महिलाओं को लैंगिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित करना।
- 5.क राज्य में महिलाओं को आर्थिक अधिकारों के साथ-साथ सम्पत्ति पर स्वामित्व एवं नियन्त्रण, वित्तीय सेवाओं, विरासत एवं प्राकृतिक स्रोतों पर अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार सुधार करना।
- 5.ख महिलाओं के सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए उचित तकनीक विशेषकर सूचना एवं संचार तकनीकों के उपयोग को बढ़ाना।
- 5.स राज्य में लैंगिक समानता एवं सभी स्तरों पर महिलाओं तथा लड़कियों के सशक्तीकरण के लिए उचित कानून एवं नीतियों को लागू करना।





सभी के लिए जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता एवं सतत् प्रबन्धन सुनिश्चित करना।



- 6.1 2030 तक, सभी को सस्ता एवं सुरक्षित जल की व्यापक एवं समान उपलब्धता।
- 6.2 2030 तक, सभी के लिए उचित एवं समान सफाई एवं स्वच्छता की व्यवस्था तथा प्रदेश को खुला शौच मुक्त करना, महिलाओं लड़कियों एवं अन्य कमजोर वर्गों की जरूरतों की ओर विशेष ध्यान देना।
- 6.3 2030 तक, हानिकारक रसायनों एवं पदार्थों के निकास एवं डम्पिंग को रोक कर पानी की गुणवत्ता में सुधार लाना और पूरे राज्य में सुरक्षित पानी के पुर्नउपयोग/पुर्नचक्रण को बढ़ाना।
- 6.4 2030 तक, सभी क्षेत्रों में पानी के प्रभावी उपयोग को बढ़ाना एवं पानी की कमी के मुद्दे को ताजे पानी की सतत् पूर्ति से सुनिश्चित करना, तथा पानी की कमी से जूझ रहे लोगों की संख्या में पर्याप्त कमी लाना।
- 6.5 2030 तक, सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबन्धन को उपयुक्त भागीदारी द्वारा क्रियान्वित करना।
- 6.6 2020 तक, जल संबंधी पारिस्थितिकी, पर्वतों, वनों, दलदल युक्त भूमि, नदियों, एवं झीलों इत्यादि का पुनः भण्डारण एवं संरक्षण करना।
- 6.क 2030 तक, राज्य में जल एवं स्वच्छता संबंधी गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के अंतर्गत जल संरक्षण, जल उपयोग, व्यर्थ जल उपचार एवं दौबारा पुर्नउपयोग से संबंधी तकनीकों के साथ क्षमता वर्धन।
- 6.ख जल एवं स्वच्छता प्रबन्धन के सुधार में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को मजबूत बनाना।





सभी के लिए सस्ती, भरोसेमंद, सतत् एवं आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

- 7.1 2030 तक, राज्य में सस्ती, विश्वसनीय एवं आधुनिक ऊर्जा की व्यापक उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- 7.2 2030 तक, राज्य ऊर्जा उत्पादन में नवीकरण ऊर्जा के भाग को बढ़ाना।
- 7.3 2030 तक, ऊर्जा क्षमता सुधार की दर को दोगुना करना।
- 7.क 2030 तक, स्वच्छ ऊर्जा हेतु शोध एवं तकनीक, नवीकरण ऊर्जा, ऊर्जा क्षमता, विकसित ईंधन तकनीक की उपलब्धता के लिए राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना और ऊर्जा सम्बन्धित अधोसंरचना एवं स्वच्छ ऊर्जा तकनीक में निवेश को प्रोत्साहित करना।
- 7.ख 2030 तक, सभी के लिए आधुनिक एवं सतत् ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए तकनीक को अपग्रेड एवं अधोसंरचना को विस्तृत करना। पूर्व सांकेतिक जोखिमों में कमी और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य जोखिमों के प्रबन्धन के लिए सभी क्षेत्रों की क्षमता को मजबूत करना।





सभी के लिए सतत्, समावेशी एवं चिरस्थायी आर्थिक विकास, पूर्ण एवं लाभकारी रोजगार और उचित कार्य को बढ़ावा देना।

- 8.1 राज्य की परिस्थितियों के अनुसार प्रति व्यक्ति आर्थिक वृद्धि दर और विशेषकर प्रति वर्ष कम से कम 7 प्रतिशत सकल घरेलु उत्पाद वृद्धि दर बनाए रखना।
- 8.2 तकनीकी विकास एवं नवाचार के माध्यम से उच्च उत्पादकता एवं श्रम केन्द्रित क्षेत्रों में विविधीकरण द्वारा आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना।
- 8.3 उत्पादक कार्यकलापों, उचित रोजगार सृजन, उद्यमिता, सृजनात्मकता एवं नवोन्मेष का समर्थन करने वाली विकासोन्मुखी नीतियों को बढ़ावा देना और वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करना।
- 8.4 राज्य में विकसित देशों की पहल के अनुसार, सतत् उपभोग और उत्पादन संबंधी कार्यक्रम (10 वर्षीय रूपरेखा के अनुसार), आर्थिक विकास को पर्यावरणीय अवक्रमण से अलग करने का प्रयास करना तथा संसाधनों के उपभोग में वैश्विक कुशलता में 2030 तक क्रमिक रूप से सुधार लाना।
- 8.5 2030 तक, युवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों सहित सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए पूर्ण एवं लाभकारी रोजगार और उचित कार्य की उपलब्धता तथा समान कार्य के लिए समान भुगतान सुनिश्चित करना।
- 8.6 2020 तक, रोजगार, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण से वंचित युवाओं के अनुपात को कम करना।
- 8.7 बेगारी का उन्मूलन करने और बाल मजदूरी एवं मानव तस्करी का अंत और उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए तात्कालिक और कारगर उपाय करना और 2025 तक बाल सैनिकों की भर्ती और उपयोग सहित सभी प्रकार की बाल मजदूरी का अन्त करना।
- 8.8 प्रवासी कामगारों और विशेष रूप से महिला प्रवासी कामगारों तथा अनिश्चित रोजगारों में कार्यरत कामगारों सहित सभी कामगारों के लिए सुरक्षित कार्य परिवेश को बढ़ावा देना।

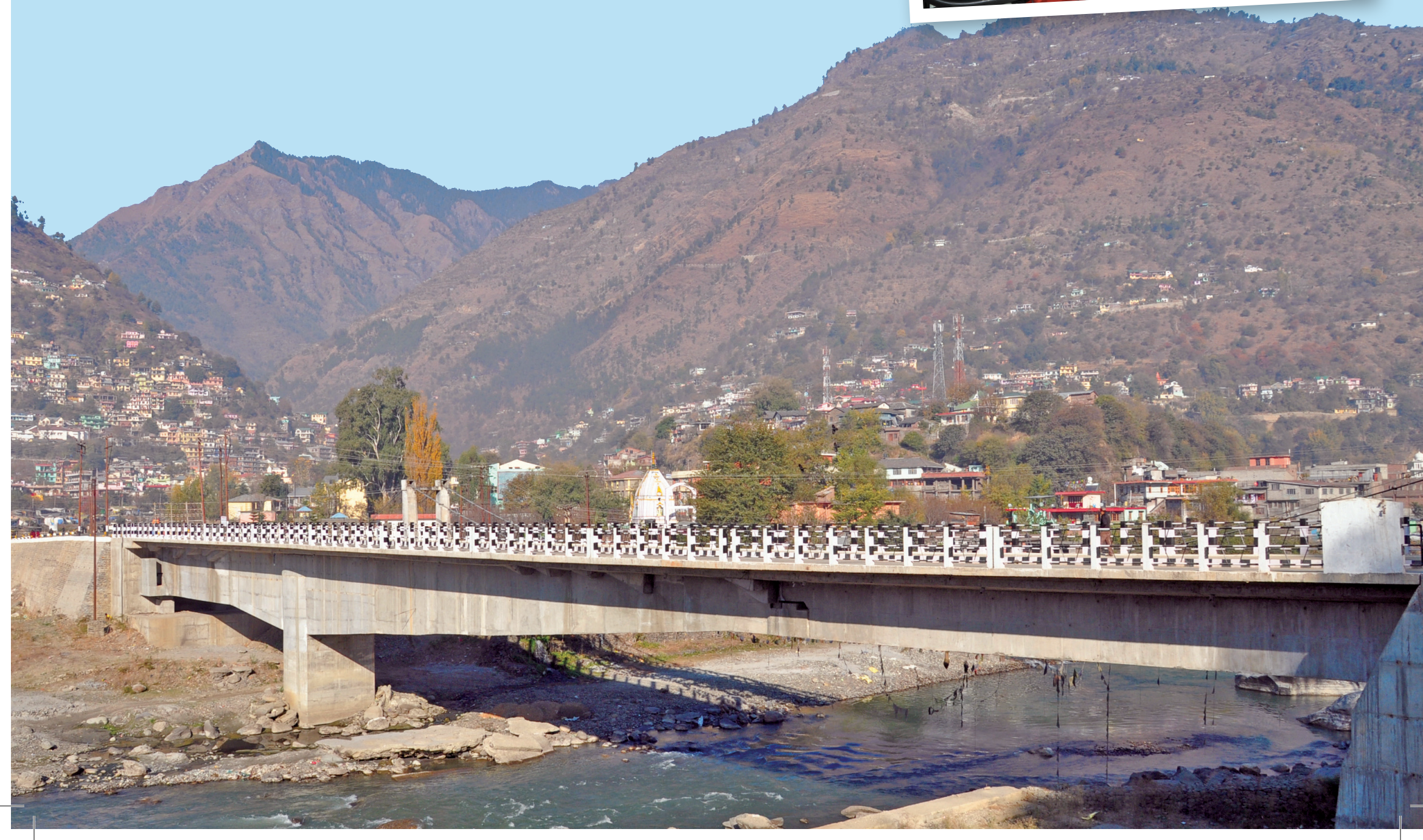


- 8.9 2030 तक, रोजगार का सृजन करने वाले तथा स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को बढ़ावा देने की नीतियां तैयार करना।
- 8.10 सभी के लिए बैंकिंग, बीमा, और वित्तीय सेवाओं की पहुंच को प्रोत्साहित और सुनिश्चित करने हेतु वित्तीय संस्थाओं की क्षमता का सुदृढीकरण करना।
- 8.क 2020 तक, युवाओं के लिए राज्य स्तरीय कार्यनीति तैयार कर उसे लागू करना तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वैश्विक रोजगार समझौते को कार्यान्वित करना।



सुदृढ़ मूलभूत अधोसंरचना का निर्माण करना, सतत् एवं दीर्घकालिक औद्योगीकरण को बढ़ावा देना तथा नए नवाचार को प्रोत्साहित करना।

- 9.1 आर्थिक विकास और मानव कल्याण हेतु सहायता प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय और सीमा-पार अवसंरचना सहित गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, संधारणीय (sustainable) और समुत्थानशील अवसंरचना का विकास करना।
- 9.2 समावेशी एवं संधारणीय (sustainable) औद्योगीकरण को बढ़ावा देना और 2030 तक, राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार रोजगार और सकल घरेलु उत्पाद में उद्योग की हिस्सेदारी में पर्याप्त वृद्धि करना।
- 9.3 लघु उद्योगों तथा अन्य उद्यमों के लिए सस्ते ऋण सहित वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता तथा मूल्य श्रृंखलाओं और बाजारों में उनके एकीकरण की व्यवस्था।



10 असमानताएं
कम करना



अन्तर्राज्यीय और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उपस्थित असमानताओं को कम करना ।

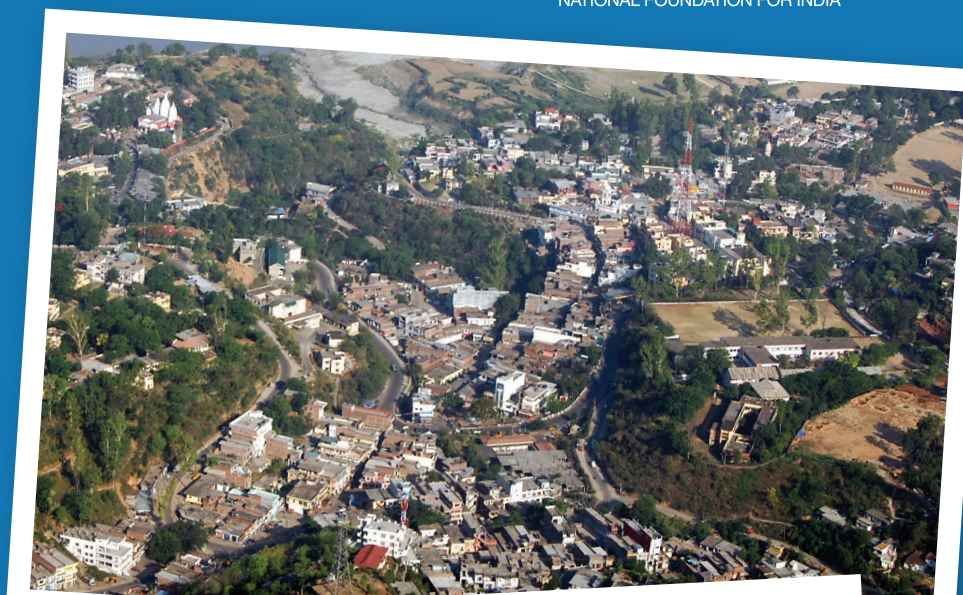
- 10.1 2030 तक, आबादी के सबसे पिछड़े 40 प्रतिशत लोगों की आय को राज्य की आय से अधिक दर से बढ़ाना तथा उसे बनाए रखना ।
- 10.2 2030 तक, हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक रूप से सशक्त बनाना, चाहे वे किसी भी उम्र, लिंग, प्रजाति, मूल, धर्म के हों ।
- 10.3 सभी को समान अवसर सुनिश्चित करना तथा आय की असमानता को कम करना जिसके लिए भेदभावपूर्ण कानूनों, नीतियों और व्यवहारों को समाप्त करना ।
- 10.4 वित्तीय प्रबन्धन, वैतनिक तथा सामाजिक संरक्षण नीतियों को लागू करना ।
- 10.5 लोगों का व्यवस्थित, सुरक्षित, नियमित तथा उत्तरदायी प्रवास तथा गतिशीलता को सुगम बनाना जिसमें सुनियोजित एवं सुप्रबन्धित प्रवास नीतियां शामिल हैं ।



11 सतत शहर एवं
संतुलित समुदाय



शहरों एवं आबादी क्षेत्रों का समावेशी, सुरक्षित, मजबूत और सतत् विकास।



- 11.1 2030 तक, सबके लिए पर्याप्त, सुरक्षित तथा सस्ते मकान और बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा झुग्गी-बस्तियों का विकास करना।
- 11.2 2030 तक, सबके लिए सुरक्षित, सस्ती तथा सुलभ और संधारणीय (sustainable) परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराना, ताकि सड़क सुरक्षा बढ़े और सार्वजनिक परिवहन का विस्तार हो तथा कमजोर वर्गों, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और अशक्तों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जा सके।
- 11.3 2030 तक सभी क्षेत्रों में सहभागितापूर्ण, एकीकृत, संधारणीय (sustainable), मानव पुनर्वास का नियोजन एवं प्रबन्धन।
- 11.4 **राज्य की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की संरक्षा और सुरक्षा के प्रयासों का सुदृढ़ीकरण।**
- 11.5 2030 तक, मौतों की संख्या को काफी कम करना तथा जल आपदाओं सहित अन्य आपदाओं के कारण सकल घरेलू उत्पाद को होने वाले आर्थिक नुकसान से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या में कमी करना जिसमें कमजोर परिस्थितियों में रह रहे गरीबों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया हो।
- 11.6 2030 तक, नगरों के प्रति व्यक्ति पर्यावरणीय दुष्प्रभाव को घटाना जिसमें वायु की गुणवत्ता और नगरपालिका तथा अन्य अपशिष्ट प्रबन्धन पर विशेष ध्यान देना शामिल है।
- 11.7 2030 तक, खासकर महिलाओं, बच्चों, वृद्धों और अशक्तों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुगम, हरित और सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराना।
- 11.क शहरी, अर्ध-शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बीच सकारात्मक आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए क्षेत्रीय विकास योजना का सशक्तीकरण करना।
- 11.ख 2030 तक, नगरों तथा मानव बस्तियों की संख्या में वृद्धि के लिए एकीकृत नीतियों और समावेशन, संसाधन दक्षता तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण हेतु योजनाओं का प्रारूपण और कार्यान्वयन।
- 11.ग स्थानीय सामग्रियों का उपयोग कर चिरस्थायी और मजबूत भवनों का निर्माण।



12 उत्तरदायित्वपूर्ण
स्वपत और
उत्पादन

सतत् उपभोग एवं उत्पादन पद्धति सुनिश्चित करना।



- 12.1 सतत् उपभोग तथा उत्पादन संबंधी कार्यक्रम के 10 वर्षीय फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन।
- 12.2 2030 तक, प्राकृतिक संसाधनों का सतत् प्रबन्धन एवं प्रभावी उपयोग।
- 12.3 2030 तक, खुदरा तथा उपभोग स्तरों पर प्रति व्यक्ति राज्य खाद्य अपशिष्ट को आधा करना तथा उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला खाद्य पदार्थों को होने वाले नुकसान को कम करना जिसमें फसल कटाई के बाद होने वाला नुकसान भी शामिल है।
- 12.4 2030 तक, रसायनों तथा सभी अपशिष्टों का उनके पूरे जीवनचक्र के दौरान पर्यावरणीय दृष्टि से ठोस प्रबन्धन करना जो अन्तर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के अनुरूप हों तथा वायु, पानी और मिट्टी में उनके मिलने की संभावना को कम करना ताकि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सके।
- 12.5 2030 तक, अपशिष्ट सृजन की रोकथाम, पुनार्वतन तथा पुनरुपयोग द्वारा कमी लाना।
- 12.6 कम्पनियों और खासकर बड़ी और अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के संधारणीय (sustainable) व्यवहार को अंगीकृत करने तथा संधारणीय (sustainable) सूचना को उनकी रिपोर्टिंग चक्र में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- 12.7 सार्वजनिक खरीददारी व्यवहारों को बढ़ावा देना जो संधारणीय (sustainable) और राष्ट्रीय नीतियों तथा प्राथमिकताओं के अनुरूप हो।
- 12.8 विकास और जीवनशैली संबंधी सूचना जो प्रकृति के अनुरूप हो, का प्रसार एवं लोगों में जागरूकता।
- 12.क राज्य के विकासशील क्षेत्रों को सहायता प्रदान करना ताकि वे अधिक संधारणीय (sustainable)



उपभोग और उत्पादन पद्धतियों को अपनाने के लिए अपनी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय क्षमता को सुदृढ़ कर सकें।

12.ख संधारणीय (sustainable) पर्यटन के लिए संधारणीय (sustainable) विकास प्रभावों के अनुवेक्षण संबंधी औजारों का विकास तथा कार्यान्वयन करना, जिससे रोजगार के अवसर सृजित हों तथा स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को बढ़ावा मिले।

13 जलवायु परिवर्तन कार्रवाई



जलवायु परिवर्तन एवं इसके प्रभावों से निपटने के लिए तात्कालिक कार्रवाई करना ।

- 13.1 जलवायु संबंधी जोखिमों और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की क्षमता तथा उसके अनुकूल बनने की क्षमता को सुदृढ़ करना ।
- 13.2 नीतियों, कार्यनीतियों और नियोजन में जलवायु परिवर्तन को एकीकृत करना ।
- 13.3 जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन प्रभाव उपशमन तथा शीघ्र चेतावनी संबंधी शिक्षा, जागरूकता वृद्धि और मानवीय तथा सांस्थानिक क्षमता को बढ़ाना ।
- 13.क सार्थक न्यूनीकरण कार्रवाई तथा कार्यान्वयन में पारदर्शिता के परिपेक्ष्य में अपनी कैपिटलाइजेशन के माध्यम से हरित जलवायु निधि को यथाशीघ्र पूर्णतः प्रचलित करना ।
- 13.ख तकनीक आधारित जलवायु परिवर्तन संबंधी आयोजन तथा प्रबन्धन हेतु क्षमता वृद्धि के लिए उपायों को बढ़ावा देना जिसमें महिलाओं, युवाओं, स्थानीय तथा वंचित समुदायों पर विशेष बल दिया जाना शामिल है ।



15 वलीय जीवों
की सुरक्षा



राज्य के इकोसिस्टम का संरक्षण एवं पुनर्स्थापन और इनके सतत् उपयोग को बढ़ावा देना, सतत् वन प्रबन्धन, मरुस्थल-रोधी उपाय करना, भूमि अवक्रमण को रोकना और प्रतिवर्तित करना और जैव-विविधता को रोकना

15.1 2020 तक, अन्तर्राष्ट्रीय करारों के तहत दायित्वों की तर्ज पर कतिपय वनों, आर्द्र प्रदेश, पर्वतों और शुष्क भूमि में भौमिक तथा अंतर्देशीय मीठे जल एवं परितंत्र तथा उसकी सेवाओं का संरक्षण, पुनरुद्धार और संधारणीय (sustainable) उपयोग सुनिश्चित करना।

15.2 2020 तक, सभी प्रकार के वनों के प्रभावी प्रबन्धन को बढ़ावा देना, वनोन्मूलन (Deforestation) को रोकना, उजड़े वनों का पुनर्निर्माण करना तथा राज्य स्तर पर पुनः वनीकरण को बढ़ावा देना।

15.3 2020 तक, मरुस्थलीकरण को रोकना, मरुस्थलीकरण, सूखा और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित अवक्रमित (degraded) भूमि तथा मिट्टी का पुनरुद्धार करना।

15.4 2030 तक, पर्वतीय परिस्थितिकी प्रणालियों की दृष्टिगत क्षमता बढ़ाने के लिए जैव विविधता सहित संरक्षण सुनिश्चित करना।

15.5 प्राकृतिक पर्यावासों के अवक्रमण को कम करने के लिए तत्कालिक कार्य करना, जैव विविधता की क्षति को रोकना और 2030 तक संकटग्रस्त प्रजातियों को विलुप्त होने से रोकना।

15.6 आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों का निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रयोग सुनिश्चित करना और ऐसे संसाधनों की समुचित उपलब्धता बढ़ाना।

15.7 वनस्पति और जीवों को संरक्षित प्रजातियों के अवैध शिकार तथा अवैध तौर पर बेचने की प्रक्रिया को रोकने के लिए तत्कालिक उपाय करना।

15.8 2020 तक, थल और जल पारिस्थिकी तन्त्रों पर आक्रामक विदेशी प्रजातियों के प्रवेश को रोकने तथा उनके प्रभाव को व्यापक स्तर पर कम करने के लिए उपाय करना और प्रजातियों पर नियंत्रण रखना तथा उन्मूलन करना।

15.9 2020 तक राज्य और स्थानीय स्तर पर प्रारुपण, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी को कम करने संबंधी कार्यनीतियों तथा जैव विविधता संबंधी मानकों का एकीकरण करना।

15.क जैव-विविधता और परितंत्रों के संरक्षण तथा संधारणीय (sustainable) उपयोग के लिए सभी स्त्रोतों के वित्तीय संसाधन जुटाना।

15.ख समावेशीय वन प्रबन्धन के वित्तपोषण हेतु सभी स्त्रोतों एवं सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण संसाधन जुटाना और संरक्षण तथा पुनःवनीकरण के लिए ऐसे प्रबन्धन के उन्नयन हेतु पर्याप्त प्रोत्साहन देना।

15.ग संधारणीय (sustainable) आजीविका अवसरों का पता लगाने के लिए स्थानीय समुदायों की क्षमता बढ़ाकर संरक्षित प्रजातियों के अवैध शिकार तथा अवैध तौर पर बेचने की प्रक्रिया को रोकने के प्रयास करना।





सतत् विकास के लिए अमनप्रिय और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय उपलब्ध करवाना तथा सभी स्तरों पर कारगर, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना।

- 16.1 सभी प्रकार की हिंसा और संबंधित मृत्यु दरों में व्यापक कमी करना।
- 16.2 बच्चों के प्रति दुर्यवहार, उनके शोषण, अवैध तौर पर बेचने की प्रक्रिया तथा सभी प्रकार की हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करना।
- 16.3 राष्ट्रीय कानूनी नियमों को बढ़ावा देना और सभी के लिए एक समान न्याय सुनिश्चित करना।
- 16.4 **2030 तक, अवैध वित्तीय प्रसार और हथियार के व्यापार में व्यापक कमी करना, चोरी हुई सम्पत्तियों की बरामदगी तथा वापसी और सभी प्रकार के संगठित अपराधों से निपटना।**
- 16.5 सभी प्रकार के भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी में व्यापक कमी करना।
- 16.6 सभी प्रकार के प्रभावी, जवाबदेह तथा पारदर्शी संस्थाओं का विकास करना।
- 16.7 सभी स्तरों पर क्रियाशील, समावेशी, सहभागी और प्रतिनिधिक निर्णय लेना सुनिश्चित करना।
- 16.8 वैश्विक शासन वाली संस्थाओं में प्रदेश की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें सुदृढ़ करना।
- 16.9 2030 तक जन्म पंजीकरण सहित सभी के लिए कानूनी पहचान उपलब्ध करवाना।
- 16.10 जनसूचना उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार मौलिक स्वतन्त्रता का संरक्षण करना।
- 16.क राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हिंसा रोकने, तथा अपराध से निपटने के लिए सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण करने हेतु राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से संबंधित संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण करना।
- 16.ख सतत् विकास हेतु भेदभाव रहित कानूनों और नीतियों को बढ़ावा देना और लागू करना।



17 लक्ष्य हेतु
भागीदारी



कार्यान्वयन के उपायों का सुदृढ़ीकरण करना और सतत् विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना।

वित्त

- 17.1 राज्य में कर एवं अन्य राजस्व इक्कट्टा करने तथा विभिन्न घरेलु संसाधन जुटाने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना।
- 17.2 राज्य में उपलब्ध स्रोतों से अतिरिक्त वित्तीय संस्थान जुटाना।
- 17.3 राज्य में यथोचित ऋण वित्तपोषण को प्रोत्साहित करने, ऋण राहत, ऋण पुनर्संरचना में लक्षित समन्वित नीतियों के माध्यम से दीर्घकालीन ऋण संधारणीयता (Sustainability) को हासिल करना।
- 17.4 राज्य में निवेश संवर्धन व्यवस्था को अपनाना और कार्यान्वित करना।

प्रौद्योगिकी

- 17.5 राज्य में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (Innovation) की उपलब्धता बढ़ाना।
- 17.6 राज्य में पर्यावरणीय रूप से प्रमाणित प्रौद्योगिकियों के विकास, अंतरण, प्रचार और प्रसार को बढ़ावा देना।

क्षमता-निर्माण

- 17.7 राज्य में क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से सभी संधारणीय (Sustainable) विकास लक्ष्यों को कार्यान्वित करना।

व्यवसाय

- 17.8 विश्व व्यापार संगठन नियमानुसार सर्वव्यापक, नियम आधारित, खुली भेदभाव रहित और न्यायसंगत बहुपक्षीय व्यवसाय प्रणाली को राज्य में बढ़ावा देना।
- 17.9 2020 तक राज्य में निर्यात के हिस्से को दोगुना करने की दृष्टि से निर्यात में पर्याप्त वृद्धि करना।
- 17.10 विश्व व्यापार संगठन के निर्णयों के अनुरूप राज्य में दीर्घकालिक आधार पर शुल्क-मुक्त और कोटा-मुक्त बाजार उपलब्धता का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

नीतिगत और संस्थागत सामंजस्य

- 17.11 नीतिगत समन्वय एवं सामंजस्य के माध्यम से राज्य में वृहद् आर्थिक स्थायित्व में वृद्धि करना।
- 17.12 सतत् विकास के लिए नीतिगत सामंजस्य बढ़ाना।
- 17.13 गरीबी उन्मूलन और संधारणीय (Sustainable) विकास हेतु नीतियां तैयार करने तथा कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक राज्य की नीतिगत गुंजाईश और नेतृत्व का आदर करना।

बहु-हितभागी साझेदारी

- 17.14 राज्य में बहु-हितभागी साझेदारी से समावेशी विकास के लिए वैश्विक साझेदारी बढ़ाना। राज्य में विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ज्ञान, विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकीय और वित्तीय संसाधन जुटाना एवं साझा करना।
- 17.15 साझेदारियों के अनुभव और संसाधन संबंधी कार्यनितियों के लाभ उठाते हुए प्रभावी सार्वजनिक, निजी तथा सिविल सोसाइटी भागीदारियों को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना।

डेटा अनुश्रवण एवं जवाबदेही

- 17.16 2020 तक, आय, लिंग, उम्र, प्रजाती, जातीयता, प्रवासी दर्जा, विकलांगता, भौगोलिक स्थिति और राष्ट्रीय संदर्भों में प्रासंगिक अन्य विषयताओं की दृष्टि से पृथक-पृथक उच्च गुणवत्तायुक्त, समयबद्ध और विश्वसनीय डेटा की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में क्षमता निर्माण।
- 17.17 राज्य के सकल घरेलु उत्पाद में योगदान देने और सांख्यिकीय क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करने हेतु संधारणीय (Sustainable) विकास संबंधी सूचकांकों के लिए 2030 तक मौजूदा प्राथमिकताओं का सुदृढ़ीकरण करना।

